

# झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010

E-mail: Jharkhand\_ssc@rediffmail.com

## इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2017

### आवश्यक सूचना

दिनांक-19.09.2019

इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2017 परीक्षा हेतु पात्रता/शैक्षणिक अहर्ता/आरक्षण/ऑनलाईन आवेदन इत्यादि की शर्तें संक्षेप में तदहेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्तें उक्त विज्ञापन से संबंधित विवरणिका में अंकित की गई हैं।

2. विवरणिका की कंडिका-10 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

3. विवरणिका की कंडिका-10 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि ऑन-लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाइट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) अथवा [www.jssc.nic.in](http://www.jssc.nic.in) पर जाएँ एवं Online Application for IRBGCCE-2017 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें।

शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण का दावा के संबंध में अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें की आवेदन की तिथि तक वे आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं एवं एतत् संबंधी वांछित प्रमाण-पत्र उनके पास उपलब्ध है।

आवेदक को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गए आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गए आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जाएगी।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित पिता का नाम एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित पिता का नाम में भिन्नता रहने के कारण परीक्षाफल लंबित रखते हुए कारण पृच्छा की गई। कारण पृच्छा के उत्तर में प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाती है:-

**अनुक्रमांक- 330122489351**

ह०/-  
परीक्षा नियंत्रक।